



श्री

अपील क.-----

-निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम-

R-1361-III/08

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,  
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री शब्बीरहुसैन पिता श्री अब्बासभाई बोहरा, आयु 47 वर्ष,  
निवासी 43 सैफी मोहल्ला, चांदनीचौक रतलाम

प्रार्थी

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक, रतलाम.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प रतलाम
3. श्रीमती हज्जानी फीज्जाबाई बेवा अब्बासभाई बोहरा  
निवासी बांसवाड़ा :राजस्थान: मुतक:
4. श्रीमती अजबबाई पति शब्बीरहुसैन.
5. श्रीमती खेरुनबाई पति मुस्नसीर बोहरा  
निवासीयान कलाईगर रोड, रतलाम
6. श्रीमती अमीनाबाई पति अकबरअलीजी बोहरा मलेशियावाला
7. श्रीमती हाजराबाई पति हकीमुद्दिनजी बोहरा रतलामवाला  
निवासीयान नई आबादी बांसवाड़ा :राजस्थान:
8. श्रीमती फातेमा पति श्री अब्दुल्लाजी काबा  
निवासी चांदनीचौक, रतलाम

प्रतिप्रार्थीगण

-निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम-

-निगरानी बनाराजगी आदेश दिनांक 28.11.2002 जो प्रकरण कमांक

-309/बी-103/2001-02 में न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प

-महोदय, रतलाम द्वारा पारित किया है, से असंतुष्ट होकर-

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प एवं जिला पंजीयक महोदय रतलाम के प्रकरण कमांक 309/बी-103/01-02 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2002 से असंतुष्ट होकर निम्न अनुसार प्रस्तुत करता है :-

189

170

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1361/तीन/2008

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 22/02/2013 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	

h